(I) बीस रुपये TWENTY RUPEES ...न्यायालय मुद्रांक ...पोपित (11)

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / /2018 निगरानी निग-ी-3553/2018/छतरपुर/भू०रा०

सरदार सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल
घोषी निवासी टिकरिया तहसील
घुवारा, जिला छतरपुर

....निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि० 11-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।
11-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

जनथा पुत्र श्री गनेशा काछी
निवासी ग्राम टिकरिया तहसील
घुवारा, जिला छतरपुर

.......रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0 53/अपील/2017–18 दिनाकी 24/05/2018 द्वारा पारित एस.डी.ओ बडामलहरा जिला छतरपुर

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, रेस्पोंडेट द्वारा विवादित भूमि स्थित ग्राम टिकरिया को दिनांक 12/11/1978 को जरिये विकय पत्र से निगरानीकर्ता को विकय पत्र लेखबद्ध कराकर अपनी सहमति ग्राम पंचान के समक्ष विकय कर दी थी व मौके पर कब्जा दे दिया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3553/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 24-05-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि नामांतरण प्रक्रिया आवेदक की सहमति से हुई और ना ही उनके द्वारा राजीनामा पेश करने के संबंध में कोई प्रमाण दिया गया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं रहीं है । अत: अनुविभागीय अधिाकरी द्वारा आवेदक का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन माफ करने व अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	